

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021-पिचकराई
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

जगदीश प्रसाद

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट.

नम्बर 92 सन-2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
02.12.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट पिचकराई मे प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 35/35 की कुल 1.8060हैक् मे से 1/4 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र साहबराम दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम है नाम संशोधन की अभिशथा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र साहबराम दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सन्बध में कैम्प के दौरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया जाकर प्रमाण पत्र पेश किया गया</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत पिचकराई की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 35/35 की कुल 1.8060हैक् मे से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र साहबराम दर्ज है के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट पिचकराई.</p>	

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/
तहसीलदार राजस्व नोहर ।
दिनांक :-

विषय :- प्रकरण अनवानी जगदीश प्रसाद बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी चक 16जेएसएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
मू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 35/35 की कुल 1.8060 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र साहबराम दर्ज है के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र साहबराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट पिचकराई